-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.12.2025

थाना बेहट पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ पशु चोरी के मुकदमें में वांछित/हिस्ट्रीशीटर शातिर पुश चोर घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह/कारतूस, 01 चोरी का छोटा हाथी (अशोक लिलैण्ड) पिकअप व 13000/- रूपये नगद बरामद

अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में** जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती,अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 17.12.2025 की शाम को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मण्डौरा तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी तभी जनता रोड की ओर से एक छोटा हाथी पिकअप आता दिखायी दिया, संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो पुलिस टीम को देखकर पिकअप सवार बदमाश पिकअप को लेकर ग्राम चिम्माबाँस की तरफ भागने लगे । पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो करीब 01 किमी दूर पर जाकर बदमाशों द्वारा पिकअप को कच्चे रास्ते पर मोडना चाहा लेकिन रास्ता सँकरा होने के कारण पिकअप नहीं मुड पायी । पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख बदमाशों ने पेड़ की आड़ लेकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा 02 अन्य बदमाश अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **सद्दाम पुत्र रिजवान नि0 ग्राम मुजाहिदपुर थाना फतेहपुर के** रूप में हुई । घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार/घायल बदमाश के विरुद्ध जनपद सहारनपुर में मुकदमें दर्ज है । घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के **कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 02 जिन्दा/01 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 चोरी का छोटा हाथी (अशोक लिलैण्ड) पिकअप व 13000/- रूपये नगद** बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर 01 दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज है । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार अभियुक्त के विरूद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0 652/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम के पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त का नाम व पताः-

सद्दाम पुत्र रिजवान निवासी ग्राम मुजाहिदपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 देशी तमन्चा 315 बोर
- 02 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद
- 01 पिकअप अशोक लिलैण्ड रजि0 नं0- UP11BT3765

- *8000/- रूपये थाना बेहट क्षेत्र में पशु चोरी से सम्बन्धित*
- *5000/- रूपये थाना बिहारीगढ क्षेत्र में पशु चोरी से सम्बन्धित*

अभियुक्त सद्दाम पुत्र रिजवान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0 644/25 धारा 303(2)बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2.मु0अ0स0 175/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3.मु0अ0स0 622/25 धारा 305(ए) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4.मु0अ0स0 156/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
5.मु0अ0स0 22/25 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6.मु0अ0स0 111/19 धारा 379/411 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
7.मु0अ0स0 288/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
8.मु0अ0स0 85/23 धारा 380/411 भादवि थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
9.मु0अ0स0 129/24 धारा 305(ए) थाना तितरो जनपद सहारनपुर
10.मु0अ0स0 141/22 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
11.मु0अ0स0 220/24 धारा 305(ए) बीएनएस व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
12.मु0अ0स0 225/24 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 112(2)/3(5)/303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
13.मु0अ0स0 477/24 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नागल जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
3. *उ0नि0 श्री महेश चन्द्र थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
4. *है0का0 378 तरूण कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
5. *है0का0 1058 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
6. *है0का0 357 अनुज दांगी थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
7. *का0 1759 सावन कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर*

दिनांक: 18.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व आज दिनांक 18.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 वारण्टी ***अभियुक्त मौ0 इकबाल पुत्र अहमद हसन नि0 ग्राम राजुपुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित परिवाद संख्या-247/24 धारा 138 एनआई एक्ट में ग्राम राजूपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मौ0 इकबाल पुत्र अहमद हसन नि0 ग्राम राजुपुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. *उ0नि0 आनन्द कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*
2. *है0का0 458 धर्मपाल थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*
3. *का0 2208 रोहित थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*

दिनांक- 18.12.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 25.50 ग्राम अवैध स्मैक (जिसकी अनुमानित कीमत करीब 05 लाख रूपये) व 01 मोटरसाइकिल बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 18.12.2025 को गस्त/चैकिंग के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **अब्दुल मलिक पुत्र इनामुलहक निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को चिलकाना से कालू माजरा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 25.50 ग्राम अवैध स्मैक व तस्करी में प्रयुक्त स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल (HR-71 C-1812) बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 363/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। । अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अब्दुल मलिक पुत्र इनामुलह उर्फ इनाम क नि0 दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- *25.50 ग्राम अवैध स्मैक*
- *01 स्पलेण्डर मोटरसाइकिल तस्करी में प्रयुक्त (HR-71 C-1812)*

गिरफ्तार अभियुक्त अब्दुल मलिक का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 292/22 धारा 379/411 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 298/22 धारा 307/34 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

3. मु0अ0सं0 299/22 धारा 414 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 153/23 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 242/22 धारा 379/411 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 363/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-</u>

1. थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. म0उ0नि0 सुमन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 799 मोहित शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 461 धर्मसिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
6. का0 2401 दुर्गेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
7. का0 1551 अमित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
8. म0का0 941 चाँदनी शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 18.12.2025

— सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही —

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 06 माह के लिए जनपद की सीमाओं से निष्कासित जिलाबदर अपराधी को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण: - दिनांक 20.11.2025 को माननीय न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट(वित्त एवं राजस्व) सहारनपुर के वाद संख्या 1419/2025 कम्प्यूट्रीकृत वाद संख्या D202509600001419 दिनांक 29 सितम्बर 2025 के अनुपालन मे 06 माह के लिए अन्तर्गत धारा 3(1) उ0 प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1970 मे अभियुक्त राशिद पुत्र कामिल निवासी ग्राम तिगरी रागमढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर को नोटिस तामील कराते हुए यमुनानगर बार्डर पर छोड़ा गया था तथा मा0 न्यायालय के आदेशानुसार 06 माह तक जनपद सहारनपुर की सीमा में प्रवेश प्रतिबन्धित किया गया था।

पुलिस कार्यवाही: - **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग/गश्त की जा रही है।** इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.12.2025 को थाना नकुड़ पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 जिलाबदर घोषित **अभियुक्त राशिद पुत्र कामिल निवासी ग्राम तिगरी रागमढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को ग्राम तिगरी रामगढ़ से गिरफ्तार किया गया। मा0 न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना नकुड पर मु0अ0सं0 592/25 धारा 10 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

राशिद पुत्र कामिल निवासी ग्राम तिगरी रागमढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 404/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात स0पुर
2.मु0अ0सं0 423/23 धारा 379/411 भादवि थाना नकुड स0पुर
3.मु0अ0सं0 424/23 धारा 379/411 भादवि थाना नकुड स0पुर
4.मु0अ0सं0 425/23 धारा 414/420/465 भादवि थाना नकुड स0पुर
5.मु0अ0सं0 250/24 घारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना नकुड स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
2. उ0नि0 अजीत सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
3. उ0नि0 राहुल कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
4. है0का0 1074 कालूराम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 18.12.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **01 वारंटी/अभियुक्त एक नफर वारण्टी अभि0 सम्राट पुत्र शमशेर निवासी पठानपुरा थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 8020/25 मु0अ0स0 72/98 धारा 323/504/325 भादवि थाना सदर बाजार (माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितय सहारनपुर) नियत तिथि 18.12.2025 में पठानपुरा से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पताः–

सम्राट पुत्र शमशेर निवासी पठानपुरा थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. उ0नि0 अनिल कुमार थाना सदर बाजारजनपद सहारनपुर ।
2. है0का0 682 सन्दीप कुमार सदर बाजारजनपद सहारनपुर

दिनांक- 18.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना मण्डी पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड व हत्या के प्रयास के मुकदमों में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी तमंचा .315 बोर व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 18.12.2025 की रात थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेड व हत्या के प्रयास के मुकदमों में वांछित अभियुक्त **नाजिम उर्फ नजीम पुत्र अल्लादिया निवासी पीर वाली गली न0 16 थाना मण्डी सहारनपुर उम्र करीब 26 वर्ष को** कूडे के ढेर के पास खण्डहर पडी बिल्डिगके पास मण्डी समीति परिसर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाश **नाजिम उर्फ नजीम उपरोक्त** थाना मण्डी सहारनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 543/25 धारा 109(1),352,3(5) बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर व मु0अ0सं0 544/25 धारा 109(1) बीएनएस (**पुलिस मुठभेड**), 317(5),3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर के मुकदमों में वांछित चल रहा था, जिसके विरुद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों पर मारपीट, हत्या के प्रयास व अन्य आपराधिक मामलों में 01 दर्जन से अधिक मुकदमें पंजीकृत है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से दिनांक 15.12.2025 को पुलिस मुठभेड की घटना में प्रयुक्त 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नाजिम उर्फ नजीम पुत्र अल्लादिया निवासी गली न0 16, पीर वाली गली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 देशी तमंचा .315 बोर,
- 01 जिंदा कारतूस .315 बोर,

अभियुक्त नाजिम उर्फ नजीम का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 47/23 धारा 391/411/420/465/120बी भावि थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर,
2. मु0अ0सं0 393/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर,
3. मु0अ0सं0 196/16 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर,
4. मु0अ0सं0 132/18 धारा 147/148/160/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर,
5. मु0अ0सं0 573/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर,
6. मु0अ0सं0 381/19 धारा 323/324/354,354क,354ख,452,506 भादवि थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 477/19 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर,
8. मु0अ0सं0 769/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर,
9. मु0अ0सं0 365/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर,
10. मु0अ0सं0 37/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर,

11. मु0अ0सं0 38/22 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

12. मु0अ0सं0 225/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर, सहारनपुर,

13. मु0अ0सं0 221/22 धारा 379/411 भावि थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर

14. मु0अ0सं0 543/25 धारा 109(1),352,3(5) बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर

15. मु0अ0सं0 544/22025 धारा 109(1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड), 317(5),3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना मण्डी, सहारनपुर,

2. हे0का0 848 कपिल कुमार थाना मण्डी सहारनपुर

3. का0 2358 तरुण कुमार थाना मण्डी सहारनपुर

दिनांक: 18-12-2025

-प्रेस नोट-

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से निर्माणाधीन बैंकट हाल से चोरी किया गया सरिया बरामद तथा घटना में प्रयुक्त कैन्टर को किया गया सीज

अवगत कराना है कि दिनांक 17.12.2025 को वादी शमशाद पुत्र इरशाद निवासी कमेसपुर थाना फतेहपुर, सहारपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत वादी के निर्माधीन बैंकट हाल में 02 अभियुक्तगण द्वारा सरिया चोरी कर लेना तथा मौके से स्थानीय लोगो की मदद से 01 अभियुक्त ***महताब पुत्र आबाद निवासी सिकरौडा थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार*** *पकड़ लेना तथा एक अज्ञात अभियुक्त द्वारा कैन्टर मे 02 बन्डल सरिया सहित फरार हो जाने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु383 0सं0अ0/303 धारा 25(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना के तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही कर ***घटना मे प्रयुक्त वाहन आयशर कैन्टर न0 RJ11GC3830 को चोरी गये माल दो बन्डल सरिया वजन करीब 02 कुन्तल को गिरफ्तार अभियुक्त महताब पुत्र आबाद निवासी सिकरौडा थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार*** *की निशानदेही पर खेडी रोड पर स्थित एक आम के बाग के पास बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। बरामद* ***आयशर कैन्टर को अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट मे सीज*** *किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय सम माननीय न्यायालय से समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

महताब पुत्र आबाद निवासी सिकरौडा थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार।

बरामदगी का विवरण-

- *01 कैन्टर आयशर न0 RJ11GC3830*
- *02 बन्डल सरिया वजन करीब 02 कुन्तल*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री मशकूर अली थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
3. *है0का0 1196 थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
4. *हो0गा0 पीसी रमेश राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.12.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी कुल 7000/- रूपये की शत प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरणः-

दिनांक 17.11.2025 को पीडिता श्रीमति मनीषा पत्नी कुलबीर नि0 ग्राम खडकपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा उसके साथ हुए 7,000/- रूपये के साइबर फ्राड के सम्बन्ध मे दिनांक 29.11.2025 को आनलाइन साइबर पोर्टल पर साइबर फ्राड शिकायत सं0 23111250193823 दर्ज करायी गयी थी।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर मनिहारान साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा साइबर शिकायत संख्या 23111250193823 में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीडिता उपरोक्त से ठगी गयी कुल **7,000/- रूपये की धनराशी शत प्रतिशत** पीडिता को वापस करायी गयी। पीडिता द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर साइबर हैल्प डैस्क थाना रामपुर मनिहारान का आभार प्रकट किया।

पीडित का नाम व पताः-

श्रीमति मनीषा पत्नी कुलबीर निवासी ग्राम खडकपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

7,000.00/- रूपये

धनराशि वापस कराने वाली साइबर टीमः-

1. अतिरिक्त निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 पुष्पेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
3. म0उ0नि0 नेहा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
4. कम्पयूटर आपरेटर कपिल देव थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
5. है0का0 1067 दीपक थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
6. म0का0 775 आकांक्षा सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 18.12.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-05 जनपद सहारनपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 14.02.2013 को वादी थानाध्यक्ष यशपाल सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनुपर द्वारा अभियुक्तों 1-संजय पुत्र सुखपाल नि0 ग्राम पिंजौरा थाना को0देहात, 2- कन्हैया पुत्र सुखपाल नि0 उपरोक्त, 3-सुखपाल पुत्र रवि सिंह नि0 उपरोक्त व 4-मुकेश पुत्र राजवीर सिंह नि0 मौ0 विनोद बिहार डेरा इलाही थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर के द्वारा गैंग बनाकर फिरौती जैसे अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित करना तथा जनता में भय व आतंक व्याप्त करने की सूचना पर मु0अ0स0-41/2013 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडगांव पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-82/2018 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-05 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 18.12.2025 को अभियुक्त 1- मुकेश पुत्र राजवीर सिंह निवासी मौहल्ला विनोद बिहार डेरा इलाही थाना बडगांव जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0-41/2013 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

नोटः- अभियुक्तगण 1-संजय पुत्र सुखपाल नि0 ग्राम पिंजौरा थाना को0देहात, 2- कन्हैया पुत्र सुखपाल नि0 उपरोक्त व 3-सुखपाल पुत्र रवि सिंह नि0 उपरोक्त को वाद पूर्व में निस्तारित हो चुका है ।

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज सिंह चौहान
विवेचक- निरीक्षक श्री सुनील दत्त सिंह
पैरोकार- का0 अंकित कुमार थाना बडगांव सहारनपुर